न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 304/2006 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. कानु आत्मज श्री मणिया, जाति भील, निवासी बिलडी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. होमा आत्मज श्री मणिया, जाति भील, निवासी बिलडी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. थावरा पिता श्री रामहेंग, जाति भील, निवासी बिलडी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. तगा पिता श्री रामहेंग, जाति भील, निवासी बिलडी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. खीमा पिता श्री रामहेंग, जाति भील, निवासी बिलडी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (नाम तर्क किया गया)
4. वेस्ता पिता श्री रामहेंग, जाति भील, निवासी बिलडी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (मृतक) के बजाय :–

4/1. श्रीमती कुसमा पुत्री श्री वेस्ता (पत्नी श्री वीका), निवासी हाल कालिया, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

4/2. श्रीमती हुकी पुत्री श्री वेस्ता (पत्नी श्री अर्जुन), निवासी हाल सारण, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

4/3. गंगजी पिता श्री वेस्ता, जाति भील, निवासी बिलडी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

4/4. सवजी पिता श्री वेस्ता, जाति भील, निवासी बिलडी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

5. मणिया पिता श्री थावरा, जाति भील, निवासी बिलडी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

6. हकरा पिता श्री थावरा, जाति भील, निवासी बिलडी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

7. रंगजी पिता श्री तगा, जाति भील, निवासी बिलडी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

8. होमजी पिता श्री तगा, जाति भील, निवासी बिलडी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

9. मना पिता श्री तगा, जाति भील, निवासी बिलडी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

10. मनजी पिता श्री खीमा, जाति भील, निवासी बिलडी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

11. कमजी पिता श्री खीमा, जाति भील, निवासी बिलडी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

12. मीठा पिता श्री खीमा, जाति भील, निवासी बिलडी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

13. गंगजी पिता श्री वेस्ता, जाति भील, निवासी बिलडी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

14. सवजी पिता श्री वेस्ता, जाति भील, निवासी बिलडी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ़
दिनांक 29.03.2006 प्र.सं. 17/2003

---/---

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री भगवतपुरी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री अब्दुल रज्जाक अभि.रे. 1, 2, 5 से 14

---::---

निर्णय **दिनांक 21–03–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 188 एवं

209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बिलडी में वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कुल किता 5 रकबा 20.06 एकड़ भूमि स्थित है, जो वादीगण, लाला, थावरी, कमला पिता मडिया, धना बेवा मडिया की सहखातेदारी व कब्जे काश्त की होकर वादीगण को विभाजन से प्राप्त हुई है। समस्त कृषक अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि में से खसरा नंबर 637/131 रकबा 1.00 एकड़ एवं खसरा नंबर 655/618/1 रकबा 4.10 एकड़ भूमि वादीगण के हिस्से की होकर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण उक्त भूमि में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा 8 दिन पूर्व बाधा उत्पन्न की। अतएवं वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 5 व 12 के अलावा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमियों पर कब्जा काश्त प्रतिवादीगण का वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है। प्रतिवादीगण अपने पूर्वजों के समय से संवत् 2010 के पूर्व से अर्थात 60 वर्षो से भी अधिक समय से काबिज चले आ रहे हैं तथा वादीगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। प्रतिवादीगण की ओर से इन्हीं खेतों के संबंध में एक वाद वादीगण के विरूद्ध 39/2003 आप न्यायालय में पेश कर रखा है, जिसमें दिनांक 06–08–2003 की पेशी नियत है। वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

प्रतिवादीगण द्वारा साथ ही काउण्डर क्लेम भी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमियां पैत्रक होकर मूल पुरूष गोबजी थे, जिसने 4 पुत्र रामहींग, दलहिंग, मडिया व गजेंग हुए। मूल सेटलमेन्ट खाते के मूल सर्वे 131 रकबा 13 बीघा का रकबा 1 बीघा के रूप में सर्वे नंबर 637/131 के रूप में व मूल सर्वे नंबर 618 रकबा 34 बीघा 15 बिस्वा में से 6 बीघा 10 बिस्वा सर्वे नंबर 655/618 के रूप में प्रतिवादी के पिता रामींग ने परिश्रम से संवत् 2010 से उनके कब्जे तथा अन्य खेत मूल सर्वे नंबर 609 व 594 में से सर्वे नंबर 653/594 व सर्वे नंबर 654/609 मडिया गोबजी के नाम पर शामिल परिवार में रहकर नोतोड निकाल कर उनके अन्य पैत्रक खाता संख्या 10 के खेतों के साथ उक्त खेतों का इन्द्राज खसरा संवत् 2010 से लगातार किया गया है, लेकिन वक्त नामान्तरकरण संख्या 4 गोबजी के नाम पर ही खेत दर्ज कर दिये गये, जबकि उक्त खेतों पर एक मात्र रामींग का हक व कब्जा है। प्रतिवादीगण उक्त भूमियों पर 12 वर्षो से भी अधिक समय से

काबिज हैं अतएवं धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादीगण के खातेदारी अधिकार अवसान होकर प्रतिवादी में निहित हो गये हैं। अतएवं काउण्डर क्लेम स्वीकार किया जाकर सर्वे नंबर 637/131 व 655/618 का प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रतिवादीगण के उक्त काउण्टर क्लेम का वादीगण द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम चलने योग्य नहीं है तथा कब्जा प्रतिवादीगण का नहीं होकर वादीगण का है। अतएवं काउण्टर क्लेम खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 5 तनकियात कायम की :–

1. क्या वाद चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि वादीगण के हिस्से की होकर वादीगण इन खेतों में काश्त करते हैं ? .... वादीगण
2. क्या प्रतिवादीगण ने वादीगण की शान्तिपूर्ण काश्त करने में व्यवधान पैदा किया ? .... वादीगण
3. क्या प्रतिवादीगण द्वारा इन्हीं खेतों का ही वाद विरूद्ध वादीगण वाद संख्या 39/2003 पेश किया है इसका दावे पर क्या असर है ? .... वादीगण
4. क्या वाद में गोबजी के वंशावली के वारिसान आवश्यक पक्षकार हैं ? .... वादीगण
5. दादरसी ?

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की पेश शुदा साक्ष्य सबूत के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करते हुए अपने निर्णय दिनांक 29–03–2006 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर वादीगण/अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 29–05–2006 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 व 5 से 14 की ओर से वकील श्री अब्दुल रज्जाक उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 के वारिसान बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री नान स्पीकिंग है। तनकी नंबर 1 में वादीगण को यह सिद्ध करना था कि भूमि वादीगण के हिस्से की होकर वादीगण काबिज है, जिसके सम्बन्ध में वादीगण द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये, जिसका अधिनस्थ न्यायालय ने कोई विवेचन नहीं किया है। तनकी नंबर 2 के सन्दर्भ में भी भूमि पर वादीगण का कब्जा नहीं मानने में अधिनस्थ न्यायालय ने भूल की है। तनकी नंबर 3 के सन्दर्भ में भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 39/2003 जो की पश्चातवर्ती वाद था, के आधार पर अपने निर्णय को अवलंकित किया है। तनकी नंबर 4 का निर्णय भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि पूर्ण किया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियों के संबंध में उपलब्ध साक्ष्यों का कोई विवेचन नहीं किया है तथा अधिनस्थ न्यायालय के पास भूमि पर वादीगण का कब्जा नहीं मानने का कोई सुसंगत आधार भी उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में आश्चर्य जनक रूप से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण जो कि रेकार्डेड खातेदार है, रेकार्डेड खातेदार का कब्जा नहीं होने के आधार पर उसका वाद खारिज किया है, परन्तु प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा पेश शुदा काउण्टर क्लेम पर कोई तनकी ही कायम नहीं की है। अर्थात वादीगण रेकार्डेड खातेदार होने के बावजूद उनका कब्जा नहीं माना जाकर उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा नहीं दिये जाने के बाद प्रतिवादीगण के काउण्टर क्लेम पर कोई तनकी ही कायम नहीं कर रेकार्ड एवं कब्जे के तथ्यों का विरोधाभाष विद्यमान रखा है। अर्थात अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय वादकरण का पूर्ण निपटारा करने वाला नहीं है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–03–2006 अपास्त की जाती है तथा

पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण के काउण्टर क्लेम के आधार पर तनकियात विरचित करें तथा उभयपक्षों की पुनः साक्ष्य लेकर एवं सुनकर हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में पुनः निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 21—05—2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 21—03—2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास ....**एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰** ....

चुनिया पिता दिपा, जाति भील, नि0 ग्राम भीमगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य बनाम **दिता पिता हड़िया, जाति भील, नि0 ग्राम भीमगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं॰...........**59/2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........ ..... **कुशलगढ़** .... मुकाम...............मुवर्खे...........**..22**..............माह.............**07**............**2003**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**22**....माह........**10**.......सन् **2016** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी......**श्री दिलीप त्रिवेदी**....मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री नन्दलाल पुरोहित**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–07–2003 यथावत रखी जाती है। .

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**22**.....माह.......**10**...........**2016** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील........... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।